

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(8)नविचि/2023

जयपुर, दिनांक:- 21 AUG 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान-2031 अनुसार "वाड़ा आवासीय योजना" (Integrated Township) नामक योजना बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना की सीमा निम्न प्रकार से है:-

उत्तर : न्यास भूमि


दक्षिण : निजी खातेदारी कृषि भूमि

पूर्व : न्यास भूमि

पश्चिम : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (देबारी-पिण्डवाडा) बाईपास


इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 19.7500 हैक्टर है। इस योजना के क्षेत्रफल का विवरण तथा नक्शा कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांय 03 बजे से 05 बजे तक देखा जा सकता है। उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथी से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, उदयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अध्यक्ष, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
8. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
9. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 21.08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय